



Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.almr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.almr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740



क्रमांक एफ 11(50टो)एफसीए/मुवसअ/2022-00015      १५५

दिनांक:- २३।६।२३

निमित्त,

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान-जयपुर।

**विषय :-**—Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi-Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/OFC/150737/2022

**सन्दर्भ:-**—उप वन संरक्षक, टोंक का पत्रांक 4836 दिनांक 19.06.2023 के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1(13)वन/2023 दिनांक 03.03.2023 द्वारा उक्त प्रकरण में 0.4143 है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, टोंक द्वारा प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

क्र.सं.	पैरावाईज बिन्दु	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एंजेसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशा प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एंजेसी हिन्दी समाचार पत्र - महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशा प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न हैं। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई हैं। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार दो सेट मूल।

भवदीय

(शारदा प्रताप सिंह) 23/6/05  
मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर।

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता—किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल—ccffdःp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194  
क्रमांक:एफ13( )एफसीए / समुवसं/ 2023/ निमित्त,  
दिनांक :

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
 प्रोटोकॉल एवं नोडल अधिकारी एफसीए  
 राजस्थान जयपुर।

**विषय:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi-0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited.(Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/OFC/150737/2022

**प्रसंग:** राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प 1(13)वन/ 2023 दिनांक 03.03.2023 के क्रम में।  
**महोदय,**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग द्वारा दिनांक 03.03.2023 से आलौच्च प्रकरण में सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। उप वन संरक्षक दून्ही ने सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दूवार पालना प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर पत्रांक 7833 दिनांक 21.07.2023 से इस कार्यालय में प्रेषित की है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शर्त	पालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वनविभाग के होंगे। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प न ही लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	जिला कलेक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न है।

10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित होत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जासकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित होत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का ववनवद्धता पत्र संलग्न है।
11.	भारतसरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र - महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई हैं। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

प्राप्त पालना रिपोर्ट कार्यालय की सहमति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- अनुपालना रिपोर्ट 2 प्रति में।

भवदीय

८०

(महेश चन्द गुप्ता)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा

क्रमांक: एफ13( )एफसीए/समुवसं/2023/ 3824-25 दिनांक : 24.7.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक बून्दी को पत्रांक 7833 दिनांक 21.07.2023 के क्रम में
2. Telesonic Networks Limited K21 Sunny House, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur



संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा

भीम

## कार्यालय उप वन संरक्षक, टोक

जखीरा नरसी परिसर समाई माधोपुर शेख टोक फोन नं.-01432254479 ई-मेल- dcf.tonk.fores@rajasthan.gov.in  
कमांक एफ ( )सर्व/एफसीए/चवस/2023-24/५८६ दिनांक १९/०६/२०२३  
निमित्त

मुख्य वन संरक्षक  
अजमेर



F.L.A  
20/6/23

महोदय

विषय:- Diversion of 0.4143 ha. (Tonk-0.1425 ha, Bundi 0.2718 ha.) For laying fo underground optical cable along the road with in the existing row roneeja kumaharla to bundi tonk district border to dhadrola m/s telesonic network limited (raj.) (online proposal no. FP/RJ/OFC/150737/2022)

प्रसंग:- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटोक्षन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर का पत्र कमांक 5340-42 दिनांक 20.03.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के कम में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव अन्तर्गत वनभूमि के प्रस्ताव अन्तर्गत राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1 (13)वन/2023 जयपुर दिनांक 03.03.2023 के द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में सेवानिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत अधिरोपित शर्तों की पालना करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को लिखा गया था। इस कम में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो निम्नानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	पालना प्रतिवेदन
1	यन भूमि की वैधानिक स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जलुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होना चाहिए जावेगा एवं उनके संरक्षण हेतु समरत उपाय किये जावेगे।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को यन विभाग की यिन पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुति स्थल/यन, क्षेत्र के आस-पास स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैर्स/केरेसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुति वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान बिट्टी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण यत्नमाल व भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।

9	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धांतिक स्वीकृति को पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत करायेगा। तदोपरांत ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के हांसा एफ.आर.ए. प्रमाण प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न है।
10	राज्य सरकार हांसा द्वारा गई इस अनुमति का प्रवेशन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, घने एवं पश्चिम गंगालय, भारत सरकार हांसा किया जायेगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटिकिंग संलग्न है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल हांसा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में उक्तरतः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रतिया स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल हांसा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में उक्तरतः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति को हिन्दी/अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशन करायाकर एक-एक प्रति संलग्न प्रस्तुत की गई है।

संलग्न:-प्रस्ताव 3 प्रतियो में।

(धनश्याम गुप्ता)

उप वन संरक्षक  
टॉक

दिनांक / 2023

कमांक एफ ( )सर्व/एफसीए/उवस/2022-23/

प्रतिलिपि -निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि -निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजरथान जयपुर।
2. जिला कलेक्टर टॉक।
3. सहायक वन संरक्षक देवली।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली।
5. लेखा शाखा कार्यालय हाजा टॉक।

(धनश्याम गुप्ता)

उप वन संरक्षक  
टॉक

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- [dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in](mailto:dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in), Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462  
क्रमांक एफ2( )एफ0सी0ए0/उवसं/2023 7833

दिनांक : 21/7/23

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा।

विषय:- Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi-0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)Proposal No. FP/RJ/OFC/150737/2022

प्रसंग :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प 1(13)वन/2023 दिनांक 03/03/2023 एवं प्रयोक्ता ऐजेंसी का पत्र दिनांक 19.07.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प 1(13)वन/2023 दिनांक 03/03/2023 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दूवार पालना प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा प्रेषित की गई है। जो निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वनविभाग के होंगे। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प न हीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।

	वर्तमान समिकरण कठीनत तथा नियम में लागू होनी विचार करने वाला विश्वा निर्वाचकों का पालन करेगा।	पर्यावरण अधिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा विश्वा निर्वाचकों का पालन करेगा। इस संबंध में पर्यावरण एजेंसी का वर्तनवद्धता पत्र संलग्न है।
9.	पर्यावरण अधिकरण गैहानिक स्वीकृति की पालन के साथ एक ऐसा प्रारंभिक प्रस्तुत करावेगा जिसमें उन्होंने ही विविध स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एक और ए सार्विकीकृत संलग्न है।
10.	शास्त्रीय सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित शीर्षीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, गाँधी सरकार द्वारा किया जावेगा।	शास्त्रीय सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित शीर्षीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वर्तनवद्धता पत्र संलग्न है।
11.	गाँधी सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय गीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को घूंज एजेंसी एवं अधिकारी में प्रकाशित होने वाले एक एक समाचार पत्र में अक्षरण प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतिया स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका की राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्तर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	गाँधी सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय गीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को घूंज एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र—गहानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र—The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक—एक समाचार पत्र में अक्षरण प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई हैं। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

मूल ही पालना रिपोर्ट उ प्रति में आवश्यक कार्यकारी हेतु सावध प्रेषित है।

संलग्न— सपरीकानुसार उ प्रति में।

भवदीय

(तरुण मेहरा)  
उप वन संरक्षक  
बून्दी

दिनांक :

(तरुण मेहरा)  
उप वन संरक्षक  
बून्दी

क्रमांक पत्र २( )एफसी०८०/ उपर्युक्त/ २०२३/

१. प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नौडल अधिकारी (एफसी०८०) राज० जयपुर।



सेवामें

श्रीमान उप वन संरक्षक,  
टॉक।

दिनांक:

१५/३/२२

**विषय :-** *Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/OFC/150737/2022 की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने वाले।*

**संदर्भ :-** राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प 1(13) वन/2023 दिनांक 03/03/2023 एवं उप वन संरक्षक टॉक के पत्रांक: एफ ( )सर्वे एफसीए/उवस/2022-23/2310, टॉक दिनांक 21/03/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयात्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित विन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory  
1 of 2 Page

10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Place: Jaipur

For Telecom Networks Limited  
Authorised Signatory  
Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,  
बूँदी।

दिनांक: 19/07/2023

**विषय :—** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/OFC/150737/2022 की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने गावत्।

**संदर्भ :—** राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प 1(13) वन/2023 दिनांक 03/03/2023 एवं उप वन संरक्षक बूँदी के पत्रांक: एफ2( ) वन संरक्षण/उवस/2021-22/2819, बूँदी दिनांक 27 Mar 2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	*प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ <u>मालिनी शर्मा</u> है।

For Telesonic Networks  
Authorised Signatory

10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता सलग्न है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अहररा प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र - The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अहररा प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया सलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतिया स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां सलग्न हैं।

Place: Jaipur

For : [Signature] *[Signature]*

Name: \_\_\_\_\_  
 Office Seal & Signature:  
 Designation:

**Condition No. 01**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा  
**Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of  
Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from  
Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s  
Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में  
कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited  
Authorised Signature  
Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

उप वन संरक्षक  
बून्दी (राज.)

**Condition No. 02**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा  
**Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of  
Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from  
Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s  
Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग  
किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited  
Authorised Signature  
Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

उप वन संरक्षक  
बून्दी (राज.)

**Condition No. 03**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.**

: FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited  
Authorized Signatory  
Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:  
  
उप वन संरक्षक  
बून्दी (राज.)

**Condition No. 04**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

### **UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा **Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited  
Authorised Signature

Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

उप वन संरक्षक  
बून्दी (राज.)

**Condition No. 05**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.**

: FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

उप वन संरक्षक  
बून्दी (राज.)

For Telesonic Networks Limited  
Authorised Signatory

Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No. 06**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा  
**Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of  
Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from  
Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s  
Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी चर्चनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

उप वन संरक्षक  
बून्दी (राज.)

For Telesonic Networks Limited

Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

Condition No.07

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited  
Name: \_\_\_\_\_  
Office Seal & Signature:  
Designation: \_\_\_\_\_

उप वन संरक्षक  
बून्दी (राज.)

**Condition No.08**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

## **UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

उप वन संरक्षक  
बून्दी (राज.)

For Telesonic Networks Limited

Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No. 09**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

उप वन संरक्षक  
बून्दी (राज०)

For Telesonic Networks Limited

Name: *[Signature]* Authorised Signatory  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No. 10**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

### **UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited  
Authorised Signature  
Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

उप वन संरक्षक  
बून्दी (राज०)

**Condition No. 11**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

### **UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र - महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited  
Name: *[Signature]*  
Office Seal & Signature:  
Designation:

उप वन संरक्षक  
बून्दो (राज.)

**Condition No. 01**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

**For Telesonic Networks Limited**

~~Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:~~

~~Authorised Signatory~~

**Condition No. 02**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा

**Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited

  
Authorised Signatory  
Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No. 03**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

### **UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा  
**Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of  
Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from  
Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s  
Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना  
के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव  
जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त  
उपाय किये जावेंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**

For Telesonic Networks Limited  
Name: *[Signature]*  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No. 04**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा

**Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited

  
Authorised Signatory  
Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No. 05**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा  
**Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of  
Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from  
Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s  
Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited

  
Authorised Signatory  
Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No. 06**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा  
**Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of  
Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from  
Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s  
Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण  
कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल  
आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध  
है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited

Authorized Signature  
Name: *[Signature]*  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No.07**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited

  
Name: \_\_\_\_\_  
Office Seal & Signature:  
Designation: \_\_\_\_\_

Authorised Signatory

**Condition No.08**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा  
**Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of  
Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from  
Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s  
Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी  
नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध  
है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited

Name: *[Signature]*  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No. 09**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा

**Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**

For Telesonic Networks Limited

Name: \_\_\_\_\_  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No. 10**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022


**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited

  
Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:

**Condition No. 11**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/150737/2022

**Date of Proposal :** 01-02-2022

**Diversion Area:** 0.4143 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि **Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** भारत सरकार के पत्रांक 7-23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी सैंद्वान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र - **महानगर टाइम्स** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - **The Indian Express** में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के संलग्न हैं। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई हैं। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

**Place:** Jaipur

For Telesonic Networks Limited

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Authorised Signatory

**FORM-1**  
**(for linear projects)**  
**Government of Rajasthan**  
**Office of the District Collector, Bundi**

No.- Mada/Forest/Diversion/23/**3401**

Dated - **19**.07.2023

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schuduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.2718 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Layaing Optical Fiber Cable at Location Gram Roneeja & Dhardhadi, Gram Panchayat Roneeja Panchayat Samiti Hindoli District- Bundi** falls within jurisdiction of Bundi.

It is further Revised certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.2718 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s), and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl; AS above

  
**(Mukesh Kumar Choudhary)**  
**Additional District Collector, Bundi**

No.- Mada/Forest/Diversion/23/

Dated - .07.2023

Copy forwarded to :

1. DFO Bundi.

  
**Additional District Collector, Bundi**

## कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:-वन अधि. / 2023-24/

दिनांक - 18/07/2023

### बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.07.2023 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित प्रतिनिधि श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परापरागत वनवासी (वन अधिकारों की गान्धता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्वित हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक मे निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुये।

- |  |            |
|--|------------|
| 1. जिला कलक्टर, बून्दी।  | अध्यक्ष    |
| 2. अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी।                                | अध्यक्ष    |
| 3. उपवन संरक्षक वन विभाग, बून्दी।                              | सदस्य      |
| 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी।                | सदस्य सचिव |
| 5. श्री बंशीलाल मीणा (उप प्रमुख), जिला परिषद सदस्य वार्ड सं0 1 | सदस्य      |
| 6. श्रीमती अंजना जैन, जिला परिषद सदस्य वार्ड सं0 20            | सदस्य      |
| 7. श्रीमती सीमा भील, जिला परिषद सदस्य वार्ड सं0 7              | सदस्य      |

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं विचार विमर्श उपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री करतार सिंह द्वारा सदन को जानकारी दी गई की निम्न 1 प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के पास लम्बित है।

- टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाने में आयी (0.2718 है) वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा।

सदस्य सचिव द्वारा बताया गया की टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाये जाने हेतु निम्न प्रकार 0.2718 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त स्तरीय वनाधिकार समिति बून्दी की बैठक दिनांक 25.01.2023 के बैठक कार्यवाही विवरण में भी इस हेतु प्रस्ताव पारित कर निम्न प्रकार वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है:-

क्र0स0	ग्राम	खसरा नं0	खसरा नं0 का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग
1	रोणीजा	450	8.707	0.1638 हैक्टर
		451	10.1576	
		1700	10.8860	
		1701	13.3384	
		1707	3.2537	
		358	6.1188	
		447	9.1783	
		360	3.0999	
		347	1.1169	
		363	3.3346	
2	धारधडी	543	69.3144	0.108 हैक्टर
		486	46.0208	
		08	57.4653	
		24	34.0907	
		11	35.5394	
		02	41.7878	
		योग	353.4096	

0.2718 हैक्टर

For Telecom  
Authorised Signature  
Signature

उपर्युक्त स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 25.01.2023 एवं सबधित ग्राम पंचायत रोणीजा की ग्राम सभा में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुशंशा के अनुसार उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने तथा जीविका उपार्जन हेतु काबिज नहीं होने एवं किसी भी वनवासियों के अधिकार प्रभावित नहीं होने एवं अनुसृति जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अध्याय 2 के नियम 3(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को याम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाये जाने हेतु निम्न प्रकार 0.2718 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण जारी करने की अनुशंशा करती है उक्त प्रस्ताव रार्वसाम्मति से पारित किया जाता है।

उक्त बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Sd  
(मुकेश कुमार चौधरी)  
अतिथि जिला कलक्टर, बून्दी  
दिनांक - 18/07/2023

क्रमांक:- वन अधि. / 2023-24 / 3400  
प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. उपवन संरक्षक, वन विभाग, बून्दी।
3. प्रभारी अधिकारी (राजस्व), कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी।
4. महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, बून्दी।
5. उपर्युक्त अधिकारी, हिण्डोली।
6. श्री बंशीलाल मीणा (उपजिला प्रमुख) वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य वार्ड नं 1 ग्राम पेच की बावडी तह, हिण्डोली जिला बून्दी।
7. श्रीमती अंजना जैन वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं 20 ग्राम व पोस्ट बासी तह, नैनवा जिला बून्दी।
8. श्रीमती सीमा भील वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं 7 ग्राम धनेश्वर तह तालेडा जिला बून्दी।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली।
10. अतिरिक्त निजि सचिव, जिला कलक्टर, बून्दी।
11. प्रतिनिधि टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड।
12. श्री लेखराज प्रजापत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति, बून्दी।
13. निजि सहायक, सीईओ/एसीईओ, जिला परिषद, बून्दी।

For Teleson Newsworks Limited  
Authorised Signatory



मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, बून्दी

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (बून्दी)

क्रमांक/वनाधिकार/2022-23/ 152 - 156

दिनांक :- २५.०१.२०२३

## —प्रमाण पत्र—

उपखण्ड हिण्डोली परिषेत्र के अन्तर्गत ग्राम रोणीजा में 0.1638 हैक्टेयर, ग्राम धारधडी में 0.1080 हैक्टेयर (ग्राम रोणीजा) वन भूमि का प्रत्यावर्तन करने के उद्देश्य से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी के पत्र क्रमांक: प.8-5( )राजस्व /2022/2965-66 दिनांक 28.02.2022 एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिलों बून्दी के पत्रांक:- माडा( )वन अधिनियम/2022-23/3200 दिनांक 29.11.2022 की पालना में दिनांक २५.०१.२०२३ को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की ईटक आयोजित की गई।


उपखण्ड स्तरीय समिति (वन अधिकारों की मान्यता) में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	श्रीमान विकास अधिकारी	सदस्य
3	क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य
4	श्री ओमप्रकाश	प०स० सदस्य
5	श्री बलराम मीणा	प०स० सदस्य
6	श्रीमति अर्चना कंवर	प०स० सदस्य

टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाने में आई वन भूमि रोणीजा 0.1638 हैक्टेयर व ग्राम धारधडी 0.1080 हैक्टेयर, कुल वन भूमि 0.2718 हैक्टेयर के आवश्यक वन क्षेत्र में भूमि के प्रत्यावर्तन करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे हैं। इस हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत रोणीजा द्वारा दिनांक 31.10.2022 को ग्राम सभा बैठक आयोजित कर अपनी अनापत्ति जारी कर दी है। अतः उक्त भूमि के सार्वजनिक उपयोग हेतु अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 के प्रावधानों को और स्पष्ट करते हुए जानकारी से मान-नीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र उक्त प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रोणीजा द्वारा जारी अनापत्ति उचित है।


अतः बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हिण्डोली के परिषेत्र के अन्तर्गत ग्राम रोणीजा के खसरा संख्या 450 रकवा 8.7007 है०, ख०स० 451 रकवा 10.1576 है०, ख०स० 1700 रकवा 10.8860 है०, ख०स० 1701 रकवा 13.3384 है०, ख०स० 1707 रकवा 3.2537 है०, ख०स० 358 रकवा 6.1188 है०, ख०स० 447 रकवा 9.1783 है०, ख०स० 360 रकवा 3.0999 है०, ख०स० 347 रकवा 1.1169 है०, ख०स० 363 रकवा 3.3346 है०, कुल किता 10 में से 0.1638 हैक्टेयर इसी प्रकार ग्राम धारधडी में खसरा संख्या 543 रकवा 69.3144 है०, ख०स० 489 रकवा 46.0208 है०, ख०स० 8 रकवा 57.4653 है०, ख०स० 24 रकवा 34.0907 है०, ख०स० 11 रकवा 35.5394 है०, ख०स० 2 रकवा 41.7878 है० में से 0.1080 हैक्टेयर अतः कुल किता 16 कुल रकवा 353.4032 है० में से वन भूमि 0.2718 हैक्टेयर पर किसी भी वनवासियों के अधिकार प्रमाणित नहीं होने से जनहित में उक्त भूमि के प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति घोषित की गयी।

  
 उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति  
 तहसील हिण्डोली, जिला-बून्दी  
 दिनांक :- २५.०१.२०२३

क्रमांक/वनाधिकार/2022-23/ 152-156

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी को रूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद बून्दी।
3. विकास अधिकारी, प०स० हिण्डोली।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, हिण्डोली/नैनवा।

  
 For Teleonic Network Limited  
 For Teleonic Network Limited  
 For Teleonic Network Limited

  
 उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति  
 तहसील हिण्डोली, जिला-बून्दी

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (बून्दी)

क्रमांक / बैठक / वनाधिकार / 2022-23 / 151

दिनांक : - २५.०१.२०२३

## -::बैठक कार्यवाही विवरण::-

उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक २५.०१.२०२३ को उपखण्ड कार्यालय हिण्डोली में प्रातः ७.३० बजे आयोजित की गई।

उपखण्ड स्तरीय समिति (वन अधिकारों की मान्यता) में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष	<i>Omprakash</i>
2	श्रीमान विकास अधिकारी	सदस्य	<i>Omprakash</i>
3	क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य	<i>Mukesh</i>
4	श्री ओमप्रकाश	पं०स० सदस्य	
5	श्री बलराम मीणा	पं०स० सदस्य	<i>Balaram Meena</i>
6	श्रीमति अर्चना कंवर	पं०स० सदस्य	<i>Archana Kewar</i>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी के पत्र क्रमांक: प.४-५( ) राजस्व/2022/2965-66 दिनांक 28.02.2022 एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद बून्दी के पत्रांक:- नाडा( ) वन अधिनियम/2022-23/3200 दिनांक 29.11.2022 की पालना में दिनांक २५.०१.२०२३ को बैठक आयोजित की गई।

बैठक में टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा, छावडियों का नयागांव एवं गोटडा ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल विछाने में आई वन भूमि रोणीजा 0.1638 हैक्टेयर, धारधडी 0.0963 हैक्टेयर, कुम्हरला 0.000 हैक्टेयर व गोटडा 0.0117 हैक्टेयर के आवश्यक वन क्षेत्र में भूमि के प्रत्यावर्तन करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार प्रभावित नहीं होने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने से सम्बन्धित है। बैठक में टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड के उपस्थित जनप्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि ग्राम गोटडा में वांछित 0.0117 है० भूमि ग्राम धारधडी में ही स्थित है एवं ग्राम कुम्हरला में वनाधिकार के तहत वांछित भूमि 0.000 है० है। अतः उक्त दोनों ग्राम गोटडा व कुम्हरला में भूमि की आवश्यकता नहीं होने से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ग्राम रोणीजा व धारधडी (ग्राम पंचायत रोणीजा) तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी क्षेत्र में आयी वन भूमि क्रमशः 0.1638, 0.1080 हैक्टेयर वन क्षेत्र आने के कारण वन भूमि का प्रत्यावर्तन करने हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे हैं। इस हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत रोणीजा, द्वारा दिनांक 31.10.2022 को ग्राम सभा बैठक आयोजित कर ग्राम सभा व वनाधिकार समिति के द्वारा अनापत्ति जारी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड हिण्डोली जिला बून्दी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उत्तर अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः किसी भी वनवासी के वनाधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अतः समिति द्वारा उक्त प्रकरण में सर्वसम्मति से भूमि 0.2718 हैक्टेयर भूमि को टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः प्रस्तावित ग्राम रोणीजा के खसरा संख्या 450 रकवा 8.7007 है०, ख०स० 451 रकवा 10.1576 है०, ख०स० 1700 रकवा 10.8860 है०, ख०स० 1701 रकवा 13.3384 है०, ख०स० 1707 रकवा 3.2537 है०, ख०स० 358 रकवा 6.1188 है०, ख०स० 447 रकवा 9.1783 है०, ख०स० 360 रकवा 3.0999 है०, ख०स० 347 रकवा 1.1169 है०, ख०स० 363 रकवा 3.3346 है०, कुल किता 10 में से 0.1638 हैक्टेयर इसी प्रकार ग्राम धारधडी में खसरा संख्या 543 रकवा 69.3144 है०, ख०स० 489 रकवा 46.0208 है०, ख०स० 8 रकवा 57.4653 है०, ख०स० 24 रकवा 34.0907 है०, ख०स० 11 रकवा 35.5394 है०, ख०स० 2 रकवा 41.7878 है० में से 0.1080 हैक्टेयर अतः कुल किता 16 कुल रकवा 353.4032 है० में से वन भूमि 0.2718 हैक्टेयर के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

*Omprakash*  
श्री ओमप्रकाश भील  
पं०समिति सदस्य, पं०स० हिण्डोली  
द्वारा दिनांक २५.०१.२०२३

*Mukesh*  
क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
नैनवां

*Omprakash*  
श्री बलराम मीणा  
पं०समिति सदस्य, पं०स० हिण्डोली

*Omprakash*  
विकास अधिकारी  
पंचायत समिति हिण्डोली

*Archana Kewar*  
श्रीमति अर्चना कंवर  
पं०समिति सदस्य, पं०स० हिण्डोली

*Omprakash*  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डोली

For Teleonic *Teleonic* *Teleonic* *Teleonic*  
LIC *LIC* *LIC* *LIC*  
Airtel *Airtel* *Airtel* *Airtel*  
Jio *Jio* *Jio* *Jio*  
Vodafone *Vodafone* *Vodafone* *Vodafone*  
Bharti Airtel *Bharti Airtel* *Bharti Airtel* *Bharti Airtel*

# कायोलय ग्राम पंचायत रोणीजा

## पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

**प्रेषक :-**

सरपंच

श्रीमती शर्मा बाई गुर्जर

मो.नं. ९००१९१५८०९

प्रविति :-

શ્રીરાત

### **क्रमांक :-**

ט' ו' ענבל

दिनांक..... २३/१२/२०१८

प्रमाणित किया था। वे गांधी ज्ञानीया की जापानी सर्वेक्षण एवं  
हजारीबाबू सामग्री की बर्दू इनांक ३१/१०/२०२२ की जानील्ल गोंदी ज्ञान  
सर्वेक्षण पर छुप्पी। उक्त बर्दू प्रस्ताव खण्ड ०१ के अनुसार गांधी ज्ञान  
ज्ञानीया एवं बन चुके ०.२७१४ हजार॒ के लिए अनुसारी बनावाले आए  
अत्या प्रणालीय वन निवासी (बन आष्टुकुरी की जान्याला) जापानीया २००५ के  
अनुवाले गण्डा पर्य की अग्निशमन तान पर प्रस्ताव पर्य खारी बर्दू का निर्माण  
बन्धों बाबू इनांक २३/१०/२०२२ के गांधी ज्ञानीया पर बर्दू इनांक ३१/१०/२०२२ के  
प्रस्ताव खण्ड ०२ की जापानीया द्वारा खण्ड ०१ के गांधी ज्ञानीया एवं  
संस्था ०२ के अनुसार सर्वसाधारण ज्ञानीया का अनुभावन करते हुए वन आष्टुकु  
की प्राचीन आणीनीया २००५ के अनुवाले वन चुके ०.२७१४ हजार॒ के लिए  
दृष्टिक्षण। निवासी लिए ०१ के प्रस्ताव में यह गण्डा पर्य आप इनांक २३/१०/२०२२

य० १८०) प्र आप हिनांड २३/१२/२०२२ का ७७ प्र० दृष्टि शाल लें गा०  
परापरे पुङ्का बारा भारी दिया गया था।

~~For Telesonic Inc.~~

गोमी  
उत्तरपथ  
कुमार पवारकरा चोपणिया  
ए.ज. चिण्ठोली (सुरुषी)

## बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

१०

१९७०

विला नदी

63

( ग्रन्थ ) संख्या २०२२-१

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत रोपिणी  
पं. स. हिण्डोली (यूनिटी)

**For Telesonic Networks Limited**  
**Authorised Signatory**

**FORM -I**  
(for linear projects)  
(Govt. of Rajasthan)

## **Office of the District Collector, Tonk**

No F 12( )/FRA/2023-24/ 923

Date 09.06.2023

### **TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-09/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> Feb. 2013 Wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that **0.1425 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Office Of The Sr. Manager, Telesonic Network Limited, Jaipur Rajasthan (Name of user agency) for Laying of UNDERGROUND OPTICAL FIBER CABLE ALONG THE ROAD WITHIN THE EXISTING ROW FROM RONIJA - KUMAHARLA TO BUNDI - TONK DISTRICT BORDER TO DHADROLA-DOONI. (purpose for diversion of forest land) in TONK district falls within Jurisdiction of Anwa and DHADROLA village (s) in DOONI tehsils.

#### **It is further certified that :**

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.1425 Hectares area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the district level Committee are enclosed as annexure A, no objection certificate of Gram panchayat Anwa No. 02 dated 24.04.2022 and Gram panchayat Sitapura no.01 date 26.01.2023
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl. :- As above.

**District Collector,  
Tonk**

# कार्यालय जिला परिषद, टोक

## बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 26.05.2023 को जात 11:00 बजे जिला कलेक्टर नहोरदय को अधिकारा में अनुसूचित जनजाति और कार्य सम्बन्धित इन नियमों (इन अधिकारों की नाम्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं उत्तराधित नियम 2012 के उत्तराधित नियमों जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसने नियमाधित विषय पर चर्चा की गई।


**प्रश्नावधि -** योग्य प्रबंधक टोकिसोनिक नेटवर्क लिए जलवायत नार्थ, ती स्कोप जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत आवा के ग्राम आवा एवं ग्राम पंचायत सीतापुर के ग्राम धारोल, तहसील देवली की 0.1425 है। इन भूमि पर अम्फर ग्राउण्ड फाईबर देवल विभाने हेतु इन सरकारी अधिनियम 1980 के प्रवधानों के तहत भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार प्रमाण पत्र लेने हेतु ग्रामपंचायत/वनाधिकारी की समीक्षा की गई।

1. जिसने योग्य प्रबंधक टोकिसोनिक नेटवर्क लिए जयपुर के पत्रांक - दिनांक 15.12.2022 द्वारा ग्राम पंचायत आवा के ग्राम आवा एवं ग्राम पंचायत सीतापुर के ग्राम धारोल में नियमानुसार वन भूमि पर अम्फर ग्राउण्ड फाईबर केबल विकाय जला उत्तराधित है। जिसका क्षेत्रफल नियम इकार ते है -

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	ग्राम छसरा नदर य रखा	कुल क्षेत्रफल
1	आवा	आवा	2202, 2229, 2238, 2240	0.0864
2	सीतापुर	धारोल	1561, 1563, 1564, 1566	0.0561
कुल क्षेत्रफल				0.1425

2. उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत आवा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 24.04.2022 प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा एवं ग्राम पंचायत सीतापुर की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 26.05.2023 प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर अधिनियम तक ST & OTFO (वन अधिकारों की नाम्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3(1)(e) के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का व्यवितरण/सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही पूर्व में कोई दावा लंबित है जलार्थ किसी भी प्रकार का व्यवितरण/सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही पूर्व में कोई वनाधिकार यज निहित नहीं किया गया है। अतः उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3. उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, देवली की बैठक दिनांक 30.05.2022 (आवा) एवं दिनांक 16.03.2023 (सीतापुर) के ग्राम धारोल ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के निर्णय एवं कार्यवाही विवरण को विचारार्थ रखा जाकर समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अम्फर फाईबर देवल विभाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी व्यवितरण/सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हैं और पूर्व में भी कोई वनाधिकार यज निहित नहीं किया गया। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण उपखण्ड अधिकारी देवली के पत्रांक 5642 दिनांक 26.06.2022 एवं पत्रांक 785 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।
4. उपरोक्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति टॉक के सम्बंधित नार्थ रखा गया, जिस पर समिति द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अदलावन किया गया, जिसने उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किसी प्रकार का व्यवितरण/सामुदायिक दावा लंबित नहीं होना बताया गया है। अतः जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा चर्चा उपरान्त अम्फर ग्राउण्ड फाईबर केबल विभाने बबत् वन विभाग की उक्तानुसार प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्रफल 0.1425 है। भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान कर बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

  
उप वन सचिव,  
टोक

  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, टोक

जिला कलेक्टर,  
टोक

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी.....देवली.....जिला टॉक

आज दिनांक 16/03/2023 को समय 11:00 AM बजे उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित विषय पर चर्चा की गई।

बैठक में ~~आटोमेल लाइन अटल इंडिया~~ विभागीय द्वारा हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रक्रियानों के तहत भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के सबध में चर्चा की गई।

- जिसमें ग्राम धारोता के निम्न छलसा वन में से कुल भूमि 0.0561 द्वारा ग्राम पचायत ~~मीतापुरा~~ के निम्नांकित पासों की त्रिमात्रात्मासार वन भूमि पर (संविधित उद्देश्य) अधिगत ~~सामूहिक उपखण्ड लाइन~~ लेखत डालने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

क्र.सं	पंचायत	ग्राम	ग्राम खसरा नम्बर व रक्षा	कुल क्षेत्रफल
1	मीतापुरा	धारोता	1561, 1566, 1564, 1563	0.0561
कुल क्षेत्रफल				

- उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पचायत ~~मीतापुरा~~ की ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 26/01/2023 प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा एवं ग्राम पंचायत ~~मीतापुरा~~ की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकारी समिति की बैठक दिनांक 26/01/23 प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर आज दिनांक तक ST & OTFD (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है। और पूर्व में कोई दावा लघित नहीं है। तथा अब तक कोई वनाधिकार पत्र निहीत नहीं किया गया है। अतः उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में ग्राम सभा की कोई आपत्ति नहीं है। जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया है।
- उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में ग्राम सभा स्तरीय समिति के निर्णय एवं कार्यवाही विवरण को विचारार्थ रखा जाकर समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। कि (संविधित उद्देश्य) ~~सामूहिक उपखण्ड लाइन~~ अटोमेल लाइन अटल इंडिया विभागीय द्वारा हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा लघित नहीं है और पूर्व में भी कोई वनाधिकार पत्र निहीत नहीं किया गया। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने सहमति प्रदान की गई है।

ग्राम सभा पंचायत अधिकारी  
समीक्षा द्वारा अधिकारी  
लाइनमैपली

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार  
समिति सदस्य  
पंचायत समिति सदस्य  
वार्ड नं 21

Mrs.  
विक्रमसंगति विक्रमसंगति  
पंचायत समिति देवली (टॉक)

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार  
समिति सदस्य  
पंचायत समिति सदस्य  
वार्ड नं 6

उपखण्ड अधिकारी  
देवली

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार  
समिति सदस्य  
पंचायत समिति सदस्य  
वार्ड नं 18

For Telenor Telecom Works Limited

लोक अधिकारी दिनांक - 16/03/2023

आज दिनांक - 16/03/2023 के मुख्य लोकारी अधिकारी  
एवं पदेन सुखम परिषेजना अधिकारी (मह.) द्वारा  
परिषद टैक्ट के साथ ५८-६२ दिनांक 16/03/2023  
स्व स्वीमान विकास अधिकारी पंचायत नियमि त्रैवली  
के आडेश हमार ७५५०-५८ दिनांक 16/03/2023  
की पालना में स्वीमान सुखमियाद मीरा उपरबण अधिकारी  
देवती की अध्यक्षता में ब्लॉक रत्नेश वन नियमि  
की बैठक का आयोजन उपरबण कामिलाम डेवली में  
रखा गया है। जिसमें नियम उपाधिकारी सुन-

क्रमांक	नाम अधिकारी/महाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री सुखमियाद मीरा	अध्यक्ष	४४
2.	श्री प्रभात चौधरी	BDO	Munshi
3.	श्री महाडेश मीरा	सदस्य	सुखमियाद
4.	श्री रामसेन मीरा	सदस्य	रामसेन
5.	श्री भरतराज मीरा	सदस्य	भरतराज
6.	श्री विद्यानगराम बाबू	सदस्य	विद्यानगराम

For Telesonic Network Limited

Authorised Signatory

प्रस्ताव संख्या २. बन सकिति में सर्व सम्मति से बैठक  
शास्त्र पंचामा सीतापूरा से प्राप्त उल्लाव बन भूमि  
बाजूष्प शास्त्रारोग्य के खात्रान् । १५५५, १५६६, १५६५  
में से ०.०५ हेक्टर के ऑफिचल पार्टिपर भवल विद्वान्  
के लिए टेलिग्राफिक नेटवर्क हिंदू मि. कम्पनी के  
उन्नति सर्वसम्मति से जीजाती है। प्रस्ताव लिया गया।

मुद्रित  
पाई-१

114463 M019  
973-6

91f - 18

— (10) —

Marmata  
मिक्रोजीवियां  
संचयन स्थिति देवती (टीछ)

2

~~For Telesonic Networks Limited~~  
~~Authorised Signatory~~



जय रावण!

जय किसान!

# कर्तियालय ग्राम पंचायत, सीतापुरा

पंचायत समिति देवली, जिला-टोक (राज.)

प्रेषकः

सरपंच/सचिव  
ग्राम पंचायत, सीतापुरा  
पं. स. देवली (टोक-राज.)

प्रेषिति :-

श्रीमान् .....

क्रमांक / 2023 | ३१२

दिनांक ७/३/२०२३

विषय :-

प्रसंग :-

प्रमाण पत्र

प्रमाणित फ्रिया खाता है कि मानविकास के अधिकारी अनंगी हैं शाम पंचायत सीतापुरा में ०.०५६१ हेक्टर खक्करा नं १५६१, १५६३, १५६४, १५६६ वन शूभ्र में झोजा कुम्हला से छुड़ी होने के द्वारा जिला बोर्ड व्यापारात्मक ऐलीसेन्ट्रिक नेटवर्क नियमित कर्मचारी को ऑफीसल फारिवर केबल लिए गए पंचायत सीतापुरा के गोई आपति वर्ष २०२३ हेतु शाम सभा में उस्ताव संख्या ०। दिनोंक २६/०१/२०२३ पर सरकारी से मिठायी लिया गया है।

✓ ग्राम पंचायत सचिवारी  
ग्राम पंचायत सीतापुरा  
पं. स. देवली (टोक)

For Telesonic Networks Limited  
Authorised Signatory

ग्राम पंचायत सीतापुरा  
पं. स. देवली टोक

ग्राम पंचायत 26/01/2023

आज दिनों 26/01 को पंचायत मुख्यालय सीतापुरा  
में जाती-पक्ष के उपलक्ष्म ने अरपंच पौष्टि  
सती देवी मीणा की अवधारणा में घटना  
अभी ए आमोजन किया गया। जिसमें भू-  
संपत्ति व अधिकारण की अपेक्षाते 1500/- —

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	द्वादशी देवी	प्राधिकरण	द्वादशी
2.	स्त्री वारुलाल निवलमा	VDC	Arun
3.	स्थादी इरणा	2DC	&
4.	चन्द्रप्रकाश डेवलिया	CPS	—
5.	भुवेश मीणा	2SA	भुवेश

पंचायत  
अरपंच  
ग्राम पंचायत सीतापुरा  
प.स. देवली टोक

For TEMPLES  
AND SITES

प्रस्ताव नं. 1 - ग्राम सभा के परिवर्तन के सम्बन्ध का

मुख्य अस्ट्रेट शाम व्हारोला के खाली  
नं. 1559, 1566, 1565, में से ०.०५८ हेक्टर  
की ओरियीनल एक्सेल इंटर केवल विद्वाने  
लेट टेलिसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड  
को लाभ उठाने हेतु दी जाती है। नवाचा  
हो ग्राम सभा को ऐसी आपत्ति नहीं है।  
जिसका ग्राम सभा ने वन विकास  
भित्ति के लिए सरकारी से मानुषोदय  
निया गया।

४/१

३१ अगस्त,

८

नवाचा

परमेश्वर

दीपनी

दीपनी

सम्पर्क

ग्राम पंचायत सीतापुरा

प.स. देवली टोक

सम्पर्क

ग्राम पंचायत सीतापुरा

प.स. देवली टोक

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ,देवली(टॉक)

क्रमांक / 2022 / 5642

दिनांक - ५२/०६/२०२२

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद् टॉक

विषय :- वनाधिकार अधिनियम की ब्लॉक स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण व ग्रा०प०  
की कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान् के कार्यालय पत्रांक 592-93 दिनांक 15.06.2022 के क्रम म।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत रुणेजा कुम्हारला से बूंदी - टॉक जिला बोर्डर से धारोला - दृनी तक टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड को ग्राम पचायत आवा के अधीन (0.0864 हेक्टर भूमि) व ग्राम पचायत सीतापुरा के ग्राम धारोला के अधीन (0.0522 हेक्टर भूमि) भूमि में अन्डरग्राउण्ड ऑपटीकल फाईबर केबल बिछाने हेतु<sup>FRA</sup> प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः उक्त संदर्भ में ग्राम पचायत आवा एव सीतापुरा से वनाधिकार प्रनाली पत्र द्वारा ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति प्राप्त कर ब्लॉक स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेपित है।

संलग्न :- उक्तानुसार।

क्रमांक / 2022 / 5643

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, टॉक।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, टॉक।
3. कार्यालय प्रति।


B. I. D.  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली

दिनांक :- ५२/०६/२०२२

For Telesonic Networks Limited

B. I. D.  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली

—

  
Authorized Signatory

## कार्यालय उपरखण्ड अधिकारी देवली..... जिला टोक

### उपरखण्ड सत्रीय बन अधिकार समिति का बैठक कार्यवाही विवरण

बाज दिनांक 30/5/22 को सदय 11:00 बजे उपरखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में  
अनुचित बहाविती और एवं प्रशंसनात्मक बन नियामी (एनाधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम  
2006 एवं सम्बन्धित नियम, 2012 के अनुरूपता परिवर्त उपरखण्ड सत्रीय बनाधिकार समिति की बैठक  
बैठकीती की गई। विस्तृत विवरण विषय पर चर्चा की गई।

**विषय :- टोकने देवली उपरखण्ड अधिकारी की बाबत बैठक बिवाही**

100 के ग्रामों के बाबत भूमि प्रत्यावर्तन हेतु बन अधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के सबय में चर्चा  
की गई।

1. विषय

**टोकने देवली उपरखण्ड अधिकारी की बाबत बिवाही**  
**प्रस्तावित किया गया**

1.

क्र. सं.	ग्रामपाल	ग्राम	बाबत बिवाही नियम व रकमा	कुल क्षेत्रफल
1	मार्दा	आज्ञा	२०२, २२३, २२५८, २२४०	०.०८६५
<b>कुल क्षेत्रफल</b>				<b>०.०८६५</b>

2. बाबत भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु बाबत ग्रामपाल टोकने देवली की ग्राम सभा/ग्राम पर्यायल सत्रीय बनाधिकार समिति की बैठक दिनांक ५.५.२२ इलाव तथा २ द्वारा एवं बाबत ग्राम पर्यायल सत्रीय बनाधिकार समिति की बैठक दिनांक ५.५.२२ प्रस्ताव संभया २ द्वारा सम्बन्धित से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्तावित बन भूमि पर आज दिनांक तक ST & OTFD (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 की घास २(1)(c)के अतिरिक्त किसी भी द्रव्यार का अधिकारत/सानुदायिक दावा बापत नहीं हुआ है और नहीं पूर्व में कोई दावा लघित है तथा अर तक कोई बनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया है। अत उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में बाबत बाबत कोई आवश्यक नहीं है विसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया।

3. उपरखण्ड सत्रीय बनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 30/5/22 में ग्रामसभा सत्रीय समिति के निर्णय एवं कार्यवाही विवरण को विचारणा द्वा जाकर समीक्षा की गई। समीक्षा उपरखण्ड सत्रीय बनाधिकार समिति द्वारा भी सर्वसम्मति से निरूपित लिया गया कि (सम्बित उदारय) टोकने देवली उपरखण्ड अधिकारी की ग्रामपाल एवं सानुदायिक दावा लघित नहीं है और पूर्व में भी कोई बनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया। अत उक्त प्रस्तावित बन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने की महसूती द्वारा भी गई है।

**टोकने देवली उपरखण्ड अधिकारी**  
**(टोक)**

उपरखण्ड सत्रीय बनाधिकार  
समिति सदस्य  
मार्दा ग्राम  
क्र. २२५

**टोकने देवली उपरखण्ड अधिकारी**  
**(टोक)**

उपरखण्ड सत्रीय बनाधिकार  
समिति सदस्य  
मार्दा ग्राम  
क्र. २२५

**उपरखण्ड सत्रीय बनाधिकार**  
**समिति देवली**  
**(टोक)**

उपरखण्ड सत्रीय बनाधिकार  
समिति सदस्य  
सदस्यात्प्रस्तावत्त्वसमिति  
पर्षाण्डी-बद्द-६  
उपरखण्ड समिति देवली (टोक)

बैठक कार्यवाची

अज दिनांक 30/05/2022 को श्रीमान मुख्य कार्यकारी  
भाष्यकारी हूँ व पद्मन मुख्य प्रारंभोजन भाष्यकारी (मणा) जेल  
प्रारंभिक ट्रॉड के प्राप्ति 634 दिनांक 20.04.2022 द्वारा जेल  
विवास भाष्यकारी प्राप्ति समिति देवल के सादेय तक 4  
4355 दिनांक 26/03/2022 को इलान से श्रीमान महाप्रभा  
गोपल अर्जुन भाष्यकारी देवल को भाष्यकारी से कहे  
स्तरीय बन समिति की बहु का डाम्पोजन प्रवर्षण करने  
देवल से यहां आया जिसमें निम्न अधिकृत हैं—

क्र.सं.	नाम भाष्यकारी/सदाय	पद	दस्तावेज़
1.	श्रीमान अर्जुन गोपल	भाष्यकारी	10.1.2022
2.	श्री महारेण मणा	सदाय	चौधूरा
3.	श्री अरत राज मणा	सदाय	45201
4.	श्री अलिंद मणा	सदाय	21/04/2022
5.	श्री मुकुट खोराट	सदाय मिशन	02
6.	ली. गणेश कुमार गोपल	R.F.O. Dedi	—

For Teleonic Networks Limited  
Authorised Signatory

उत्तराव खंडा - १ बन समिति में सर्व सम्मति से उत्तराव खंडा ग्राम पंचायत आवां से प्राप्त उत्तराव बीतलपुर जिले के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मांवा में भीतलपुर - देवी उपगाँग जल प्रदायक समिति, फारमेटाना के ठहर दर्नी के छाक, पुरुष ठाकुर तथा लाईन बिहाने के लिए यह थोड़ा बहुत मुश्किल है किंतु बारग बन और इसके पारपारिचयने के उत्तराव का मुश्किल विषय ग्रामा।

उत्तराव खंडा - २ बन समिति के रख सम्मति के आम पंचायत सीलाउरा है उत्तराव ग्राम आरोला के पक्ष बन समिति में टेलोलोटि, नेटकीठा, बीकौरा, तथा राजस्व कम्पनी को मन्डर ग्राम पारपारिचयने का ठाकुर कैवल खिलारे किसान हेतु का मुश्किल थिया, फारमेटा इसके बाद बहुत ही बहुत गाँधी - राजस्व राजस्व की गढ़ी।

~~उत्तराव खंडा देवली (देवली)~~

~~उत्तराव  
सम्मिति  
देवली~~

~~उत्तराव~~

~~मन्डर ग्रामिया  
देवली~~

~~अगोक गांव आरोला  
होला देवली देवली~~

~~उत्तराव खंडा~~

~~न९९८५ ८३५१५~~

For Telecommunications

~~Devi Limited  
Devi~~

~~सामेत देवली~~



ग्राम पंचायत ऑवा, पंस देवली, टोक (राजस्थान)  
 Gram Panchayat Anwa, PS Deoli, Tonk (RAJASTHAN)  
 Email: panchayatanwa@gmail.com

पद्धति २१/६/०२२

प्रभाग - पर

प्रभागित किए जाल हैं कि वनाड़ीजार आदि निम्न भौतिक  
 ग्राम पंस देवली के ०.०४८५ हैं। ऐसे संख्याएँ २२०२, २२२९, २२३८,  
 २२४० वन ज्ञानी लेउने कोला कुम्हारा ने छापी रोड़े तिला  
 और आदोला इनी रन (टीलीजीनीक तेवक लिंगिंग क्षयक)  
 की लावन्कर जैविक विधाने के लिए ग्राम पंस को  
 घोर आधिकारी नहीं है, इन्हें ग्राम पंस के प्रभागित २  
 दिन २४.६.०२२ पर वर्ष समझाई गई तिला बांधा है।

१  
 ग्राम पंस का अधिकारी  
 ग्राम पंस देवली  
 ग्राम पंस का अधिकारी

दिव्यांशु भहेन्द्र भारद्वाज  
 सरपंच  
 पंचायत ऑवा, टोक-राज.

For Panchayat

कार्यालय ग्राम पंचायत आवा पं० स० टोक जिला टोक

ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का बैठक कार्यवाही विवरण  
दिव्यांग महानंद भारद्वाज

आज दिनांक २५.८.२०१२ को समय ११.०० बजे श्री/ श्रीमती दिव्यांग महानंद भारद्वाज का  
 अव्यक्ति में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवारी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम  
 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित ग्राम राजा स्तरीय वनाधिकार  
 समिति की बैठक भाग्योजित की गई जिसमें (संविधित उद्देश) प्राप्ति का लिखा गया है

प्राप्ति का लिखा गया है

प्राप्ति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गृणि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार  
 प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा की गई।

1. जिसमें द्वारा ग्राम पंचायत का प्रस्तावित किया गया है।

द्वारा ग्राम पंचायत आवा के निम्नानुसार वन गृणि पर (वर्तमान  
 उद्देश) फारम्पट का प्रस्तावित किया गया है

प्रस्तावित किया गया है।

क्र. सं.	पंचायत	ग्राम	ग्राम खसरा नवर व रकवा	कुल क्षेत्रफल
1	आवा	आवा	२२०२, २२२९, २२३४, २२५०	०.०८६५
कुल क्षेत्रफल				०.०८६५

2. उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत आवा की ग्राम सभा/मन पंचायत स्तरीय  
 वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक २५.८.२०१२ प्रस्ताव सख्ता १ द्वारा

द्वारा सर्वसम्मान से नियम लिया गया कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर  
 आज दिनांक तक ST & OTFD (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2009 की धारा  
 3(1)(e)के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लालितगत तात्पुरता पाप नहीं हुआ है तो उक्त भूमि पर  
 पूर्व में कोई दावा लभित है तथा अब तक कोई वायोग नहीं हुआ है तो उक्त भूमि पर  
 अतः उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने ने ग्राम राजा को कोई आपत्ति  
 नहीं है जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाकर FRA प्रमाण पत्र जारी  
 करने की सहमति प्रदान की गई। उक्त ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा  
 उपस्थिति दर्ज कराई गई है।

द्वारा ग्राम पंचायत की  
प्राप्ति का लिखा गया है।  
द्वारा ग्राम पंचायत  
द्वारा ग्राम पंचायत

दिव्यांग महानंद भारद्वाज  
ग्राम पंचायत सरपंच  
पं० स०  
पंचायत आवा, टोक-राजा,

*For Teleonic Networks*  
*Authenticated Signature*

## ग्राम - सभा

आज दिनांक १५/४/२०२२ को ७/५/०८ तिथि कार्य

देश संघासनीय विभाग के पड़कर एफएस(२०) परामी/

प्रिष्ठि, वि.गा. सभा १५०५/५२९ तिथि ०२.५.०२२ की

पालना में कुन्हा जाप्त कारी आवेदन की जिला

पारिषद देश के भाइस की पालना वे विकास अधिकारी

मण्डल देश विभाग उपकरी उपकरी के उन्नत भावात

कार्यक्रम देश विभाग की उन्नती का नमूना

मण्डल देश के संबंध में विकास ग्राम सभा का उपराज्या

सरपंच की दिव्यांग सेवा भारतीय की अधिसंघ

में आओ जित की गई,

जिसमें निम्न कामचारी अधिकारी / जनाधारी दिखाया गया

उपराज्या द्वारा-

१. कर्मियारी अधिकारी जनप्रतिनिधि पद

उपराज्या

२. श्री द्विव्यारी मण्डल भारतीय परिषद

३. श्री बाबीलाल बलादी अप्सरपंच

३. श्री मानी गोपन उपकरी वार्डपंच

४. श्री तस्यायत जनाधारी देश

५. श्री राजेन्द्र अग्रवाल वार्डपंच

६. श्री मण्डी कल्याण वार्डपंच

६. श्री मण्डी मोनिक वार्डपंच

७. श्री राजकुमार चौहान वार्डपंच

८. श्री मण्डी चौहान उपकरी वार्डपंच

संतोष

९. श्री मण्डी छेत्री उपकरी वार्डपंच

१०. श्री वामसदाय गुरुजर वार्डपंच

११. श्री मण्डी प्रेम उपकरी वार्डपंच

विम

१२. डॉ. हेमपति लुट्टा नागर वार्डपंच

१३. श्री बोर्डी पाल गोपन क० संस्थान

१४. श्री बोर्डी नागर शान्ति पंच

१५. श्री विष्णु जाप्त सावल प.स.

१६. श्री दुर्वीरा पुराना प.स.

१७. श्री कामल कुमार गोपन प.स.

१८. श्री गोपन कुमार गोपन प.स.

१९. श्री गोपन कुमार गोपन प.स.

२०. श्री गोपन कुमार गोपन प.स.

२१. श्री गोपन कुमार गोपन प.स.

श्री गोपन

३१९

18 वामदेश्य एवं देश के प्रतिशोध  
प्र० १२०४०

RTEC 2011

19 दीप॑ कु भाषा विज्ञान  
कौशल (विज्ञान) कौशल

20 कौशल कौशल

RKE

21 विज्ञान विज्ञान  
विज्ञान विज्ञान

22 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

23 अन्तर्राष्ट्रीय  
इन्डिया इन्डिया

24 इन्डिया इन्डिया

25 इन्डिया इन्डिया

26 इन्डिया इन्डिया

प्र० १२०४०

प्र० १२०४०

प्र० १२०४०, ग्राम सभा में उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति  
अधिकारी ग्राम सभा अधिकारी जा सुन्दरी विषय

साधारणिक बनावट से सन्तुष्ट है:

ग्राम सभा में राजनीति १ मई २०२१ से

मुख्यमंत्री विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका

के बारे में विकलर से व्याचा की दृष्टि

महाराजानगर नवजात की लकड़ी वाली

फ्लॉरिप बूजना है, पुढ़ेरा का जोड़ी फैक्ट्री

इस बूजना से युद्ध सकूल है,

इस बूजना के तहत निःशुल्क वलाज पुढ़ेरा

जावगा,

पाज परिवार इस बूजना में दूड़ी की अस्ति

मन्त्री की शामिल किसा गया।

इस बूजना में साठ आवेदन जनराणना २०११

के पाज परिवार लघु घीगार युद्ध के लिए

ज्ञान दार्शन नवजात की दृष्टि

श्रीमित्र वर्ग करता,

मुख्यमंत्री विधायिका विधायिका के बारे में

में लकड़ी बूजना की दृष्टि विवेदन छ

For Teleonic Networks Limited  
Authorised Signatory

અને કોઈ વિગત ન ઉપરિસ્થિત હુદા બનિયો હોય  
એવા મોજળા જી તો એવી રીતે આંદોલન કરું જે હુદા  
નું ખાતોણા નું જીવન કરી શકતી ન હોય ।  
જે મોજળા મેં જીવી રીતે હોય તો તેઓ એવી પણ  
પરિસ્થિત હાજર કરું ચાહેર હોય કે જો હુદાની  
એ લોક પ્રાત કરે રહેતી હૈ ।  
ઉપરિસ્થિત હુદા લાગુણી કી રીતે, એવી લાગુણી  
એ મિશનાર એ - હુદાની રીતે ।

**Authorised Signatory**

क्रमांक: प. 1 (13) वन / 2023

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय:-** Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" (Proposal No. FP / RJ / OFC / 150737/2022)

**संदर्भ:-** आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2022 / एफसीए / प्रमुखस / 4892 दिनांक 14.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में M/S Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.4143 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समर्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैंस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने या भर्तने का सामग्री नहीं लिया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen  
Designation: Deputy ConservatorOf Forest राजस्थान वन विभाग, राजस्थान जयपुर,  
Date: 2023-03-03 22:35:02 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3309161

तरपंच  
ग्राम पंचायत सीतापुरा,  
प. त. देवली टोक

8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. स्टिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया ,

( मोनाली सेन )  
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक—वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली—110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. जिला कलेक्टर, बूंदी।
6. उप वन संरक्षक, बूंदी
7. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny house, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur.
8. रक्षित पत्रावली।

मृत्ति  
सरपंच  
आन पंचायत सीतापुरा  
ब.स. देवली टोक

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen  
Designation: Deputy Conservator

Of Forest भवा नीय, राजस्थान जयपुर,  
कार्यालय पता— वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पर्यावरण भवा नीय, राजस्थान जयपुर,  
दूरभाष संख्या— 0141-2227762 Mail ID [ads.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthan.gov.in) Date: 2023-03-28 10:02 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3309161

## राजस्थान सरकार

## वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (13) वन / 2023

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय:**—Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" (Proposal No. FP / RJ / OFC / 150737/2022)

**संदर्भ:**—आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2022 / एफसीए / प्रमुख / 4892 दिनांक 14.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में M/S Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.4143 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा—निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कोई नियम नहीं लगाया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen  
Designation : Deputy Conservator  
Of Forest  
Date : 2023-03-28T14:28:57Z  
Reason: Approved

कार्यालय पता:— वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी प्रशासन भवन, जयपुर, राजस्थान जयपुर,  
दूरभाष संख्या— 0141-2227762 Mail ID [ads.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthan.gov.in)

RajKaj Ref No. : 3309161

वन विभाग कार्यालय  
वन पंचायत और  
संसदीय (टॉक)

- श्रीमति योगेन्द्रा  
THE MARATHA
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
  9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
  10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
  11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मवदीया ,

( मोनाली सेन )  
विशेषाधिकारी, वन

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. अपर वन महानिदेशक—वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली—110003
  2. उप वन महानीरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी—ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
  3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
  4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
  5. जिला कलेक्टर, बूंदी।
  6. उप वन संरक्षक, बूंदी।
  7. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny house, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur.
  8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

दीनेश  
वन विभाग डीपीसीरी  
ज्ञाय पंचायत औंका  
ने.स.सेक्टरी (टॉक)

**Signature valid**

Digitaly signed by Monali Sen  
Designation: Deputy Conservator  
of Forest वन विभाग डीपीसीरी भवन नं. 201, राजस्थान जयपुर.  
Date: 2023-03-03 23:35:02 IST  
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी फॉरेस्ट भवन, राजस्थान जयपुर.  
दूरभाष संख्या— 0141-2227762 Mail ID [ads.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthan.gov.in)

RajKaj Ref No.: 3309161

FORM -I  
(for linear projects)  
(Govt. of Rajasthan)

Office of the District Collector, Tonk  
No F 12( )/FRA/2023-24/ 923

Date 09.06.2023

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-09/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> Feb. 2013 Wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that 0.1425 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Office Of The Sr. Manager, Telesonic Network Limited, Jaipur Rajasthan (Name of user agency) for Laying of UNDERGROUND OPTICAL FIBER CABLE ALONG THE ROAD WITHIN THE EXISTING ROW FROM RONIJA - KUMAHARLA TO BUNDI - TONK DISTRICT BORDER TO DHADROLA-DOONI. (purpose for diversion of forest land) in TONK district falls within Jurisdiction of Anwa and DHADROLA village (s) in DOONI tehsils.

It is further certified that :

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.1425 Hectares area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the district level Committee are enclosed as annexure A, no objection certificate of Gram panchayat Anwa No. 02 dated 24.04.2022 and Gram panchayat Sitapura no.01 date 26.01.2023
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it:
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl. :- As above.

दूनी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत सीतापुरा  
व.स. देवली टोक

District Collector,  
Tonk



# कार्यालय जिला परिषद, टोंक

## बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 26.05.2023 को प्रातः 11.00 बजे जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित विषय पर चर्चा की गई।

**प्रस्ताव:-** वरिष्ठ प्रबंधक टेलिसोनिक नेटवर्क्स लिंग मालवीय मार्ग, सी स्कीग, जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत आंवा के ग्राम आंवा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारोला, तहसील देवली की 0.1425 हैं वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड फाईवर केवल विछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव/पत्रावली की समीक्षा की गई।

- जिसमें वरिष्ठ प्रबंधक टेलिसोनिक नेटवर्क्स लिंग, जयपुर के पत्रांक -दिनांक 15.12.2022 द्वारा ग्राम पंचायत आंवा के ग्राम आंवा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारोला में निम्नानुसार वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड फाईवर विछाना जाना प्रस्तावित है। जिसका क्षेत्रफल निम्न प्रकार से है :-


क्र.सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	ग्राम खसरा नंबर व रकवा	कुल क्षेत्रफल
1	आंवा	आंवा	2202, 2229, 2238, 2240	0.0864
2	सीतापुरा	धारोला	1561, 1563, 1564, 1566	0.0561
कुल क्षेत्रफल				0.1425

- उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत आंवा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 24.04.2022 प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 26.01.2023 प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर आदिचांक तक ST & OTFD (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही पूर्व में कोई दावा लंबित है तथा अब तक कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया है। अतः उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- उपर्युक्त स्तरीय वनाधिकार समिति, देवली की बैठक दिनांक 30.05.2022 (आंवा) एवं दिनांक 16.03.2023 (सीतापुरा) के ग्राम धारोला ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के निर्णय एवं कार्यवाही विवरण को विचारार्थ रखा जाकर समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त उपर्युक्त स्तरीय समिति द्वारा भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अण्डर फाईवर केवल विछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त लंबित नहीं हैं और पूर्व में भी कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण उपर्युक्त अधिकारी देवली के पत्रांक 5642 दिनांक 28.06.2022 एवं पत्रांक 10.04.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।
- उपरोक्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति टोंक के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया, जिस पर समिति द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर ग्राम सभा एवं उपर्युक्त स्तरीय समिति द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा लंबित नहीं होना बताया गया है। अतः जिला उक्तानुसार प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्रफल 0.1425 हैं भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान कर बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

  
उप वन संरक्षक,  
टोंक

  
मुख्य कार्यपाकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, टोंक

  
जिला कलक्टर,  
टोंक

  
ग्राम पंचायत सीतापुरा  
व.स. देवली टोंक

**FORM-I**  
(for linear projects)  
(Govt. of Rajasthan)

## **Office of the District Collector, Tonk**

No F 12( )/FRA/2023-24/ १२३

Date ०९.०६.२०२३

### **TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-09/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> Feb. 2013 Wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that 0.1425 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Office Of The Sr. Manager, Telesonic Network Limited, Jaipur Rajasthan (Name of user agency) for Laying of UNDERGROUND OPTICAL FIBER CABLE ALONG THE ROAD WITHIN THE EXISTING ROW FROM RONJA - KUMAHARLA TO BUNDI - TONK DISTRICT BORDER TO DHADROLA-DOONI. (purpose for diversion of forest land) in TONK district falls within Jurisdiction of Anwa and DHADROLA village (s) in DOONI tehsils.

#### **It is further certified that :**

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.1425 Hectares area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the district level Committee are enclosed as annexure A, no objection certificate of Gram panchayat Anwa No. 02 dated 24.04.2022 and Gram panchayat Sitapura no.01 date 26.01.2023
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it:
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl. :- As above.

**District Collector,  
Tonk**

*Deputy*  
माम विषयक अधीकारी  
माम पंचायत और  
ए.स.वैकल्पी (टॉन्क)



# कार्यालय जिला परिषद, टोंक

## बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 26.05.2023 को प्रातः 11.00 बजे जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्धा) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित जौ गई, जिसमें निम्नानुकूल विषय पर चर्चा की गई।

प्रस्ताव:- वरिष्ठ प्रबंधक टेलिसोनिक नेटवर्क्स लिंग मालवीय मार्ग, री स्कीग, जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत आंवा के ग्राम आंवा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारोला, तहसील देवली की 0.1425 है वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड फाईवर केबल विछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को तहत भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार प्रगाण पत्र लेने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव/पत्रावली की समीक्षा की गई।

- जिसमें वरिष्ठ प्रबंधक टेलिसोनिक नेटवर्क्स लिंग, जयपुर के पत्रांक -दिनांक 15.12.2022 द्वारा ग्राम पंचायत आंवा के ग्राम आंवा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारोला में निम्नानुसार वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड फाईवर केबल विछाया जाना प्रस्तावित है। जिसका क्षेत्रफल निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	ग्राम खसरा नंबर व रक्का	कुल क्षेत्रफल
1	आंवा	आंवा	2202, 2229, 2238, 2240	0.0864
2	सीतापुरा	धारोला	1561, 1563, 1564, 1566	0.0561
कुल क्षेत्रफल				0.1425

- उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत आंवा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 24.04.2022 प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 26.01.2023 प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर आदिनांक तक ST & OTFD (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही पूर्व में कोई दावा लंबित हैं तथा अब तक कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया है। अतः उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, देवली की बैठक दिनांक 30.05.2022 (आंवा) एवं दिनांक 16.03.2023 (सीतापुरा) के ग्राम धारोला ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के निर्णय एवं कार्यवाही विवरण को विद्यारार्थ रखा जाकर समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अण्डर फाईवर केबल विछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त लंबित नहीं हैं और पूर्व में भी कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण उपखण्ड अधिकारी देवली के पत्रांक 5642 दिनांक 28.06.2022 एवं पत्रांक 765 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।
- उपरोक्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति टोंक के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया, जिस पर समिति द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा लंबित नहीं होना बताया गया है। अतः जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा चर्चा उपरान्त अण्डर ग्राउण्ड फाईवर केबल विछाने यावत् वन विभाग की प्रदान कर बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

  
उप वन सहायक,  
टोंक

  
मुख्य कार्यवाही अधिकारी,  
जिला परिषद, टोंक

  
जिला कलक्टर,  
टोंक



**FORM-1**  
 (for linear projects)  
 Government of Rajasthan  
**Office of the District Collector, Bundi**  
 No. - Mada/Forest/Diversion/23/3461

Dated - 19.07.2023

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act 2006) ( FRA for short ) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 0.2718 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Laying Optical Fiber Cable at Location Gram Roneeja & Dhardadi, Gram Panchayat Roneeja Panchayat Samiti Hindoli District- Bundi falls within jurisdiction of Bundi

It is further Revised certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.2718 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s), and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities

Encl; AS above


  
 (Mukesh Kumar Choudhary)  
**Additional District Collector, Bundi**

No.- Mada/Forest/Diversion/23/

Copy forwarded to  
1 DFO Bundi

Dated - .07.2023

—Sd—  
**Additional District Collector, Bundi**

  
 अधिकारी  
 ग्राम पंचायत समिति  
 प. वा. रेस्टेल (पुरुष)

# कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक - वन अधि / 2023-24 /

दिनांक

672/23

## बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.07.2023 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्दिशित प्रतिनिधि श्रामन अंतर्गत बैठक कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी) एवं अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति एवं बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुये।

- |   |            |
|---|------------|
| 1. जिला कलक्टर, बून्दी।                                       | अध्यक्ष    |
| 2. अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी।                               | अध्यक्ष    |
| 3. उपवन सरक्षक वन विभाग, बून्दी।                              | सदस्य      |
| 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी।               | सदस्य सचिव |
| 5. श्री बंशीलाल मीणा (उप प्रमुख), जिला परिषद सदस्य वार्ड स0 1 | सदस्य      |
| 6. श्रीमती अंजना जैन, जिला परिषद सदस्य वार्ड स0 20            | सदस्य      |
| 7. श्रीमती सीमा भील, जिला परिषद सदस्य वार्ड स0 7              | सदस्य      |

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं विचार विमर्श उपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री फरतार सिंह द्वारा राज्य की विधान सभा की विधान सभा की निम्न 1 प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के पास लम्हित है।

- टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल विछाने में आयी (0.2718 है) वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा।

सदस्य सचिव द्वारा बताया गया की टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल विछाये जाने हेतु निम्न प्रकार 0.2718 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त स्तरीय वनाधिकार समिति बून्दी की बैठक दिनांक 25.01.2023 के बैठक कार्यवाही विवरण में भी इस हेतु प्रस्ताव पारित कर निम्न प्रकार वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है:-

क्र0सं0	ग्राम	खसरा नं0	खसरा नं0 का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग
1	रोणीजा	450	8 707	
		451	10 1576	
		1700	10 8860	
		1701	13.3384	
		1707	3 2537	
		358	6 1188	
		447	9 1783	
		360	3 0999	
		347	1.1169	
		363	3.3346	
2	धारधडी	543	69 3144	0 1638 हैक्टर
		486	46 0208	
		08	57 4653	
		24	34 0907	
		11	35 5394	
		02	41 7878	
			353 4096	0 108 हैक्टर
	योग			0 2718 हैक्टर

वामी

सरपंच

ग्राम पंचायत रोणीजा  
ल. ए. हैपडोल

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 25.01.2023 एवं सबधित ग्राम पंचायत रोणीजा की गाम सभा में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुशासा के अनुसार उक्त भूमि पर काई दाढ़ा लम्बित नहीं होने तथा जीरिका उपार्जन हेतु काबिज नहीं होने एवं किसी भी वनगामियों के अधिकार प्रमाणित नहीं होने एवं अनुमोदित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अध्याय 2 के नियम 3(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड की गाम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाये जाने हेतु निम्न प्रकार 02718 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन होने अनापत्ति प्रमाण जारी करने की अनुशासा करती है उक्त प्रस्ताव राखरागति से पारित किया जाता है।

उक्त बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


Sd  
(मुकेश कुमार चौधरी)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक - 18/07/2023

क्रमांक-वन अधि./2023-24/3400  
प्रतिलिपि -

1. अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. उपवन संरक्षक, वन विभाग, बून्दी।
3. प्रभारी अधिकारी (राजस्व), कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी।
4. महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, बून्दी।
5. उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली।
6. श्री बंशीलाल मीणा (उपजिला प्रमुख) वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदरय वार्ड N0 1 वार्ड पेच की बावड़ी तह हिण्डोली जिला बून्दी।
7. श्रीमती अंजना जैन वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य, वार्ड N0 20 ग्राम व पास्ट बासा तह, नैनवा जिला बून्दी।
8. श्रीमती सीमा भील वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य, वार्ड N0 7 ग्राम धनेश्वर तह तालेडा जिला बून्दी।
9. विकास अधिकारी, पचायत समिति, हिण्डोली।
10. अतिरिक्त निजि सचिव, जिला कलक्टर, बून्दी।
11. प्रतिनिधि टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड।
12. श्री लेखराज प्रजापत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति, बून्दी।
13. निजि सहायक, सीईओ/एसीईओ, जिला परिषद, बून्दी।

  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, बून्दी

पूरानी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत टोणिजा  
प. स. हिण्डोली (बून्दी)



राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (13) वन / 2023

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय:**—Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" (Proposal No. FP / RJ / OFC / 150737/2022)

**संदर्भ:**—आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2022 / एफसीए / प्रमुखस / 4892 दिनांक 14.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में M/S Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.4143 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
  2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
  3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
  4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
  5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को सोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कोई नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mouli Sen  
Designation : Deputy Conservator  
Date : 2023-03-03 12:35:02 IST  
Reason: Approved

कार्यालय पता:— वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तर प्रदेश भवन, सीलाय, राजस्थान जयपुर,  
दूरभाष संख्या— 0141-2227762 Mail ID [ads.forest@rajasthannivay.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthannivay.gov.in)

8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया ,

( मोनाली सेन )  
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. जिला कलेक्टर, बूदी।
6. उप वन संरक्षक, बूदी
7. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny house, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur.
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

मोनाली  
स्टर्पाय  
ग्राम पंचायत ट्रेडिंग  
द. स. हिंडोली (बूदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen  
Designation : Deputy Conservator  
of Forest  
Date : 2023-03-03 12:35:02 IST  
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तीर्ण पर्यावरण भवन, सालय, राजस्थान जयपुर,  
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID [ads.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthan.gov.in) Date: 2023-03-03 12:35:02 IST  
Reason: Approved



